# विषय-सूची

• गत वर्षों के प्रश्न-पत्र हल सहित

#### भाग-I

भार	त की	सांविधानिक विधि (Constitutional Law of India)	1–127
1.		य संविधान के प्रमुख तत्व एवं उद्देशिका (Main Features of Indian stitution and Preamble)	3–10
2.	मौलिव	n अधिकार, निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य (Fundamental Rights,	
	Direc	ctive Principles and Fundamental Duties)	11–60
	(ক)	समता का अधिकार (Right to Equality)	14
	(ख)	विधि के समक्ष समता अथवा विधियों का समान संरक्षण (Equality before	
		Law and Equal Protection of Laws)	15
	(ग)	धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध	
		(Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth)	18
	(ঘ)	लोक सेवाओं में अवसर की समानता (Equality of opportunity in	
		matter of Public Employment)	20
	(ङ)	अस्पृश्यता का अन्त (Abolition of Untouchability)	22
	(च)	उपाधियों का अन्त (Abolition of Titles)	22
	(छ)	स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Freedom)	26
	(ज)	अपराधों के लिए दोष सिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण (Protection in respect	
		of conviction for offences)	31
	(됅)	प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता का संरक्षण (Protection of life and personal liberty)	34
	(죄)	बंदीकरण एवं निरोध के विरुद्ध सांविधानिक संरक्षण (Constitutional Protection	
		against arrest and detention)	39
	(ट)	शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation)	40
	(ਰ)	धर्म स्वातन्त्र्य का अधिकार (Right to Freedom of Religion)	42
	(ভ)	संस्कृति एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (Cultural and Educational Rights)	45
	(ਫ)	राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy)	51
	(আ)	मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)	55

3.	राष्ट्रपति एवं राज्यपाल (President and Governor)	61–78
4.	उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय (Supreme Court and High Court)	79–94
5.	संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग (Union Public Service	
	Commission and State Public Service Commission)	95–98
6.	संघ तथा राज्यों के बीच विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन	
	(Distribution of Legislative and Administrative Powers between Union	
_	and States)	99–107
	आपात-उपबंध (Emergency Provisions)	108–118
8.	संविधान का संशोधन (Amendment of the Constitution)	119–127
	भाग-II	
• प्रश	ासनिक विधि (Administrative Law)	1–31
1.	प्रत्यायोजित विधान (Delegated Legislation)	3–13
2.	नैसर्गिक न्याय तथा औचित्य के सिद्धान्त (Natural Justice and Principles of Fact)	14–18
3.	प्रशासनिक न्यायाधिकरण (Administrative Tribunal)	19–23
4.	लेख (Writs)	24–27
5.	लोकपाल व केन्द्रीय सतर्कता आयोग (Ombudsman and Central	
	Vigilance Commission)	28–31
	भाग-III	
● संवि	ादा विधि (Law of Contract)	1–184
1.	करार, संविदा एवं प्रस्थापना (Agreement, Contract and Proposal)	3–13
2.	प्रतिग्रहण (Acceptance)	14–26
	(क) प्रतिफल (Consideration)	27–44
	(ख) संविदा की सक्षमता (Capacity to Contract)	45–52
3.	सम्मति को अमान्य करने वाले कारक (Factors Vitiating Consent)	53–78
4.	उद्देश्य की विधिपूर्णता (Legality of Object)	79–108
5.	समाश्रित संविदा (Contingent Contract)	109–118
6.	संविदा का पालन (उन्मोचन) (Performance of Contract)	119–149
7.	सविदा-कल्प (Quasi Contract)	150–161
8.	संविदा भंग के उपचार (Remedies for Breach of Contract)	162–184

### भाग-IV

मध्य	प्रदेश भू-राजस्व संहिता	1–56
1.	प्रारम्भिक (Preliminary)	3–10
2.	भूमि तथा भू-राजस्व (Land and Land Revenue)	11–15
3.	राजस्व अधिकारी एवं उनके कर्तव्य (Revenue Officers and Their Duties)	16–28
4.	सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त (Survey and Settlement)	29–33
5.	नगरीय क्षेत्र में भूमि का निर्धारण व पुनर्निर्धारण (Assessment and Reassessment	
	of Land in Urban Areas)	34–36
6.	भू-अभिलेख (Land Records)	37–39
7.	सीमाएँ, सीमा चिह्न, सर्वेक्षण चिह्न (Boundaries and Boundary Marks and Survey Marks)	40–42
8.	भू-राजस्व की उगाही (Realisation of Land Revenue)	43–45
9.	भू-धारणाधिकारी, सरकारी पट्टेदार, मौरुसी (Tenure Holders, Government Lessees and Occupancy Tenants)	46–52
10.	ग्राम अधिकारी (Village Officers)	53–54
11.	आबादी, दखल रहित भूमि में एवं उपज में अधिकार (Rights in Abadi and Unoccupied Land and its Produce)	55–56
21112	भाग-V	1 116
•	कृत्य विधि (Law of Torts)	1–116
1.	अपकृत्य का स्वरूप एवं परिभाषा (Nature and Definition of Torts)	3–18
2.	दोष पर आधारित दायित्व एवं कठोर दायित्व (Liabilities Based on Fault and	
	Strict Liability)	19–33
3.	प्रतिनिधिक दायित्व एवं राज्य दायित्व (Vicarious Liability and State Liability)	34–50
4.	संयुक्त अपकृत्यकर्ता (Joint Tortfeasors)	51–57
5.	उपेक्षा (Negligence)	58–74
6.	मानहानि (Defamation)	75–90
7.	षड्यंत्र एवं उपताप (Conspiracy and Nuisance)	91–100
8.	अप्राधिकृत बंदीकरण या मिथ्या कारावास (False Imprisonment)	101–107
9.	विद्वेषपूर्ण अभियोजन (Malicious Prosecution)	108–116

#### ( vi )

## भाग-VI

भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code)			
	1.	आपराधिक दायित्व के सामान्य सिद्धान्त—आपराधिक मनःस्थिति तथा आपराधिक कार्य	
		(General Principles of Criminal Liability—Mens rea and actus reus)	3–16
	2.	अपराध की तैयारी तथा आपराधिक प्रयत्न (Preparation for Crime and Criminal	
		Attempt)	17–25
	3.	सामान्य अपवाद (General Exceptions)	26–49
		(क) सामान्य अपवाद (General Exceptions) (धारा 87–95)	50-61
		(ख) प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार (Right of Private Defence)	62–75
	4.	संयुक्त एवं रचनात्मक दायित्व (Joint and Constructive Liability)	76–88
	5.	दुष्प्रेरण (Abetment)	89–105
	6.	राजद्रोह (Sedition)	106–110
	7.	आपराधिक मानव वध और हत्या (Culpable Homicide and Murder)	111–138
	8.	चोरी, उद्दापन, लूट तथा डकैती (Theft, Extortion, Robbery and Dacoity)	139–151
	9.	दुर्विनियोग तथा आपराधिक न्यास-भंग (Criminal Misappropriation and Breach	
		of Trust)	152–160